रिंग रोड़ क्रमांक–1, रायपुर में निर्माणाधीन उद्योग भवन परिसर में बैंक, ए.टी.एम. एवं रेस्टोरेंट के व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्मित स्थान विक्रय

नियम एवं शर्तें

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा रिंग रोड़ क्रमांक–1 पर सोनाखान भवन के सामने उद्योग भवन (सर्वसुविधायुक्त कार्यालयीन परिसर) का निर्माण किया जा रहा है । निर्माण कार्य जनवरी 2010 तक पूर्ण किया जायेगा । उक्त भवन में रिंग रोड़ क्रमांक–1 की महत्ता एवं परिसर की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नानुसार व्यावसायिक उपयोगों हेतु स्थल का निर्धारण किया गया है :–

1) एक बैंक शाखा हेतु 670 वर्गफिट (कार्पेट एरिया) स्थान ।
2) एक बैंक ए.टी.एम. हेतु 216 वर्गफिट (कार्पेट एरिया) स्थान ।
3) एक रेस्टोरेंट/काफी शाप हेतु 360 वर्गफिट (कार्पेट एरिया) स्थान ।

उपरोक्त उपयोगों हेतु उद्योग भवन में निर्धारित स्थान पर (Constructed Space) निर्मित स्थान का आबंटन 30 वर्ष की लीज पर किया जायेगा । इसके पश्चात् लीज अवधि 30–30 वर्षो के लिये बढ़ाई जा सकती है, लीज अवधि अधिकतम 90 वर्षो की रहेगी ।

(1) लीज पर स्थान क्रय किये जाने हेतु सीलबंद प्रस्ताव प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.आई.सी. परिसर, पंडरी, रायपुर के नाम दिनांक 30/09/2009 के पूर्व कार्यालयीन समय में उपयोग के उल्लेख के साथ स्थान हेतु प्रति वर्गफीट (कार्पेट एरिया) की अधिकतम दर देते हुए कार्यालय में जमा किये जा सकते है ।

(2) सीलबंद प्रस्ताव पत्र के ऊपर **''उद्योग भवन परिसर में .... उपयोग हेतु .... वर्गफीट (कार्पेट एरिया) के लीज पर क्रय करने हेतु प्रस्ताव''** अंकित किया जाना आवश्यक होगा ।

(3) प्रस्ताव में प्रस्तुत दर की उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृति के उपरांत कुल विक्रय लागत की 10 % राशि 15 दिवस के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निगम में जमा कराया जाना आवश्यक होगा । इसके उपरांत 03 माह की समयावधि में शेष 90 % राशि विक्रय विलेख निष्पादित करते समय एकमुश्त जमा किया जाना आवश्यक होगा ।

(4) तीन माह की समयावधि में विक्रय विलेख निष्पादित न किये जाने एवं शेष 90 % राशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में जमा की गई 10 % राशि निगम द्वारा राजसात कर ली जायेगी । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का होगा एवं कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।

(5) भवन में स्थान का आबंटन निर्धारित उपयोग/व्यवसाय हेतु ही किया जायेगा, किसी भी अन्य उपयोग की स्थिति में लीज निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

(6) किसी भी राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे–आर्डर से प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के नाम से रायपुर में देय एवं स्वीकार्य होगा ।

(7) प्रत्येक आबंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा एवं प्रति माह विद्युत व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा स्वयं करना होगा ।

(8) परिसर के अंतर्गत सामान्य उपयोग की विद्युत व्यवस्था, साफ–सफाई एवं जल शुल्क के रूप में एक निर्धारित राशि प्रति माह निगम को देय होगी, जिसका निर्धारण विक्रय विलेख निष्पादन के समय किया जायेगा ।

(9) आबंटित स्थान की सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण आबंटी द्वारा नहीं किया जा सकेगा ।

(10) निगम की शर्तों के अधीन ही आबंटित स्थान किसी अन्य को सबलीज या अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकेगा । विक्रय विलेख नियमों के विरूद्ध एवं निगम की लिखित अनुमति के बिना भवन हस्तांतरण/सब–लीज अवैध होगा, जिस पर कानूनी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित है ।

(11) व्यावसायिक उपयोग एवं विक्रय विलेख पंजीयन हेतु नगर पालिका/निगम/केंद्रीय शासन/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कर उपयोगकर्ता/क्रेता पर बाध्य एवं उनके द्वारा देय होंगे ।

(12) विक्रय विलेख निष्पादन के साथ 05 वर्षों का एकमुश्त लीज रेंट एवं संधारण शुल्क निगम के नियमानुसार अग्रिम देय होगा ।

(13) विक्रय विलेख/पंजीयन व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा । निर्मित स्थल का आधिपत्य विक्रय विलेख पंजीयन कराने के बाद ही क्रेता को सौंपा जाएगा ।

(14) कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

(15) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

मैंने नियम तथा शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा मुझे मान्य है ।

(प्रस्ताव के साथ उपरोक्त नियम एवं शर्तों को हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है)श

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ————————